

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिनियम प्रती उपस्थित। अधिनियम की तलबी परिणत Reg. नं. नमूने का जमा नमूने में प्रतिम समस्त दिया गया। अधिनियम की तलबी परिणत Reg. नं. जारी होकर पत्रावली दिनांक 18/12/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>
	18.12.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिनियम प्रती उप. पूर्विका की पालना से पत्रावली दिनांक 15/12/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>
	15.1.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिनियम एवं उनके अधिनियम अनुपस्थित। प्रकरण से संबंधित मूल वाद अन्तर्गत भारत- व निगम- उपा. सी. के तहत अयम हाजरी व अयम पेंरवी से खारिज किया जा चुका है। खारिज प्रत्येक पर अन्तर्गत धारा 212 अ. 7 अधिनियम हाजरी व अयम पेंरवी से खारिज किया जाता है। पत्रावली कैलकुलेशन होकर नकल से काम होकर दाखिल रहते हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>